

[2024] 10 S.C.R. 701 : 2024 INSC 776

हर्षद गुप्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

(दाण्डिक अपील सं. 4080/ 2024)

01 अक्टूबर, 2024

[सूर्य कांत एवं उज्ज्वल भुइयां, न्यायाधीशगण]

विचारार्थ विवादक

अपीलार्थी को सिद्धदोष करने वाले न्यायाधीश को दोषसिद्धि के बाद, अपीलार्थी को दण्ड की मात्रा पर सुना जा सकने से पहले स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा उनके स्थान पर एक नए न्यायाधीश पदस्थ हुए थे। अपीलार्थी ने धारा 353 और 354 का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय से नए पीठासीन अधिकारी को प्रकरण की फिर से सुनवाई करने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें दोषसिद्धि का प्रश्न भी सम्मिलित है। क्या उच्च न्यायालय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज करने और नए पीठासीन अधिकारी को दण्ड के प्रश्न पर अपीलार्थी को सुनने और द.प्र.सं. की धारा 235 (2) के संदर्भ में एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश देने में न्यायसंगत है?

शीर्ष टिप्पण

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 235 (1), (2) - ऑपरेशन - दोषसिद्धि के बाद पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण, क्या नया पीठासीन अधिकारी दोषसिद्धि के प्रश्न सहित मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के लिए बाध्य है:

अभिनिर्धारित : नहीं- दोषसिद्धि के निर्णय के बाद, अभियुक्त को दण्ड की मात्रा पर सुने जाने का अधिकार है- धारा 235(1) का पालन करते हुए, अपीलार्थी को विधिवत सुना गया और दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया गया तथा 30.04.2015 को घोषित किया गया जिसके बाद, अपीलार्थी दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने का हकदार था - तथापि, चूंकि अपीलार्थी ने स्वयं अपनी दुर्घटना के आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थगन और छूट की मांग की थी, इस बीच पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया और नए पीठासीन अधिकारी को दंडादेश के अनुपालन के लिए दण्ड की मात्रा पर अपीलार्थी को सुनना था। धारा 235(2) के अंतर्गत परिकल्पित प्रक्रिया तथा कार्यवाही उसके उप-धारा (1) के अधीन दर्ज किए गए दोषसिद्धि के निर्णय को निरस्त नहीं कर सकते- दोनों कण्डिकाएँ अपने- अपने

क्षेत्र में प्रभावी होते हैं, यद्यपि उप-धारा (2) धारा 235 की उप-धारा (1) के तहत परिणाम पर आकस्मिक है। धारा 235 की उप-धारा (2) के अनुपालन का अवसर केवल तभी उत्पन्न होता है जब धारा 235(1) के तहत दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया गया हो- इस प्रकार, एक बार जब 30.04.2015 दिनांकित निर्णय सुनाया गया, तो अपीलार्थी की दोषसिद्धि को धारा 235(1) के अर्थ के भीतर अंतिम रूप दे दिया गया था, जिसके बाद विचारण न्यायालय का, धारा 235 के उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए कार्यक्षमता का समापन हो गया। एकमात्र मुद्दा जो उसके बाद बचा रहा वह दण्ड की मात्रा का था जिसके लिए उप-धारा (2) के अंतर्गत परिकल्पित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना था- उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश जिसमें कहा गया है कि नया पीठासीन अधिकारी दण्ड के प्रश्न पर अपीलार्थी को दण्ड की सुनेगा और एक उचित आदेश पारित करेगा, में कोई दुर्बलता नहीं है। [कण्डिका 14-16]

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 353, 354 - के साथ अनुपालन - अपीलार्थी की अभिवाक् कि उसके विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय धारा 353 सहपठित धारा 354, द.प्र.सं. के अवयवों को पूरा नहीं करता है, और इसलिए, धारा 235 की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर कोई 'निर्णय' नहीं था।

अभिनिर्धारित : अस्वीकृत- विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय धारा 354(1) के घटकों को पूर्ण करता है। - उक्त निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति में खुले न्यायालय में पढ़ा गया था और यह उनके अधिवक्ता द्वारा अच्छी तरह से समझा गया था- इस प्रकार, पीठासीन अधिकारी ने धारा 353 की उप-धारा (1) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किया- पीठासीन अधिकारी ने तब अपीलार्थी को दण्ड की मात्रा पर सुने जाने के लिए प्रकरण को सूचीबद्ध किया- धारा 353 या 354 का कोई उल्लंघन नहीं है। [कण्डिका 18]

अधिनियमों की सूची

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

दोषसिद्धि का निर्णय; दोषसिद्धि के बाद पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण, नया पीठासीन अधिकारी; दण्ड की मात्रा; दण्ड की मात्रा पर सुने जाने का अधिकार; दण्ड का आदेश; 'निर्णय'; विधिक कार्यक्षमता का समापन।

प्रकरण उद्धृत

दाण्डिक अपीली अधिकारिता : दाण्डिक अपील संख्या 4080/2024

दाण्डिक विविध याचिका सं. 444/2015 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के 13.05.2019 दिनांकित निर्णय व आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

डॉ. राजेश पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत कुमार उमराव, सुश्री निशी प्रभा सिंह, अधिवक्तागण, अपीलार्थी की ओर से।

अर्जुन डी सिंह, सुश्री अंकिता शर्मा, अधिवक्तागण, उत्तरवादी की ओर से।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय /आदेश

आदेश

अनुमति दी गई।

2. अपीलार्थी की परिवाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा पारित 13.05.2019 दिनांकित निर्णय के विरुद्ध है, जिसके तहत उसकी दोषसिद्धि के निर्णय को फिर से खोलने, नए पीठासीन अधिकारी द्वारा नए सिरे से दलीलें सुनने और उसके बाद दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति का निर्णय देने की उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है। तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है:

3. प्रथम सूचना प्रतिवेदन सं. 03/13 दिनांक 28.05.2013 को थाना जशपुर में दर्ज किया भारतीय दण्ड विधान, 1860 (संक्षेप में, "भा. द. वि.") की धारा 376 और 506 के तहत दर्ज किया गया था। अपीलार्थी मुख्य अभियुक्त है। उसके पिता पर पीड़ित को परिवाद वापस नहीं लेने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने का भी अभियुक्त लगाया गया था। विचारण न्यायालय ने 2013 में अपीलार्थी के विरुद्ध भा. द. वि. की धारा 376 (1) और 506 के तहत आरोप विरचित किया गया था। सत्र विचारण किया गया और अंतिम विचारण भी पूर्ण हुआ। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 28.04.2015 के आदेश के माध्यम से निर्णय की घोषणा के लिए प्रकरण को 30.04.2015 के लिए स्थगित कर दिया। अपीलार्थी को दोषी अभिनिर्धारित किया गया और 30.04.2015 को सुनाए गए निर्णय के माध्यम से दोषसिद्ध किया गया।

4. इससे पहले कि उसे दण्ड की मात्रा पर सुना जाता दण्ड, अपीलार्थी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 317 (संक्षेप में, "द.प्र.सं.") के तहत 30.04.2015 को एक आवेदन दायर किया ताकि उसे इस आधार पर व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जा सके कि वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया था। उस आवेदन को देखते हुए, अपीलार्थी को दुर्घटना से उबरने में सक्षम बनाने के लिए मामले को कुछ मौकों पर स्थगित कर दिया गया था।

5. इस बीच, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, अर्थात् श्री जे. आर. बंजारा, जिन्होंने अपीलार्थी को दोषी ठहराया था, को 04.05.2015 और 15.05.2015 मध्य स्थानांतरित कर दिया गया था। उनके स्थान पर एक नए पीठासीन अधिकारी श्री मोहम्मद रिजवान खान को पदस्थ किया गया।

6. उसके बाद, अपीलार्थी ने नए पीठासीन अधिकारी को प्रकरण की फिर से सुनवाई करने का निर्देश देने की मांग करते हुए, जिसमें दोषसिद्धि का प्रश्न भी सम्मिलित था, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने द.प्र.सं. की धारा 353 और 354 अवलंब लिया। यह तर्क दिया गया कि नया पीठासीन अधिकारी न केवल दण्ड के प्रश्न पर अपीलार्थी को सुनने के लिए बाध्य था, परन्तु उपरोक्त उपबंधों के संदर्भ में दोषसिद्धि के बिंदु पर भी सुनने के लिए बाध्य था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.06.2015 के अंतरिम आदेश के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। अंत में, दिनांक 13.05.2019 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें पाया गया कि:

(i) दोषसिद्धि का निर्णय विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री जे. आर. बनजारा द्वारा विधिवत रूप से सुनाया गया था; और

(ii) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के कार्यालय के उत्तराधिकारी ने दण्ड की मात्रा की सुनवाई और निर्धारण करने में कोई अवैधता नहीं की थी, यहां तक कि ऐसे प्रकरण में भी जहां दोषसिद्धि का निर्णय उनके कार्यालय के पूर्वाधिकारी द्वारा घोषित किया गया था।

7. उच्च न्यायालय ने, परिणामस्वरूप नए निर्देश दिए पीठासीन अधिकारी दण्ड के प्रश्न पर अपीलार्थी को सुनेगा और द.प्र.सं. की धारा 235 (2) के संदर्भ में एक उचित आदेश पारित करेगा।

8. व्यथित अपीलार्थी हमारे समक्ष है।

9. हमने पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. द.प्र.सं. की धारा 235 इस प्रकार है:

“ दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय

1. बहस और विधि- प्रश्न (यदि कोई हो) सुनने के पश्चात् न्यायाधीश मामले में निर्णय देगा।
 2. यदि अभियुक्त दोषसिद्ध किया जाता है तो न्यायाधीश, उस दशा के सिवाय जिसमें वह धारा 360 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करता है दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और तब विधि के अनुसार दण्डादेश देगा।"
11. प्रावधान का एक सरल वाचन इस सन्देह हेतु कोई जगह नहीं छोड़ता है कि दोषसिद्धि के निर्णय के दो घटक होंगे; अर्थात्,
- (i) दोषसिद्धि के बिंदु पर निर्णय ; तथा
 - (ii) जहां अभियुक्त को सिद्धदोष किया जाता है, दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के बाद विधि के अनुसार दण्ड का एक पृथक आदेश पारित किया जाएगा।
12. उपरोक्त उपबंध यह आवश्यक बनाता है कि एक बार जब दोषसिद्धि का निर्णय पारित कर दिया गया हो, अभियुक्त को दण्ड की मात्रा पर सुने जाने का अधिकार है। यह विधि के सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय द्वारा पर्याप्त और आनुपातिक दण्ड देते समय विभिन्न सुसंगत कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिनमें किसी अपराध के कारण को समझाने तथा क्षमादान में सहायक परिस्थितियाँ, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं।
13. यह विवादित नहीं है कि द.प्र.सं. की धारा 235(1) के अनुसार, अपीलार्थी को विधिवत सुना गया और दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जाकर 30.04.2015 को घोषित किया गया।
14. इसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी के पास दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने का अधिकार था। चूँकि अपीलार्थी स्वयं एक सड़क दुर्घटना में उसे लगी चोटों के कारण व्यक्तिगत उपस्थिति से स्थगन और छूट की मांग कर रहा था और इस बीच पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण कर दिया गया था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि द.प्र.सं. की धारा 235 (2) के उचित अनुपालन हेतु नए पीठासीन अधिकारी को दण्ड की मात्रा पर अपीलार्थी को सुना जाना था और तत्पश्चात् दण्ड का एक उचित आदेश पारित करना था।

15. दं.प्र.सं. की धारा 235 (2) के तहत विचार की गई प्रक्रिया उप-धारा (1) के तहत अभिलिखित दोषसिद्धि के निर्णय को रद्द नहीं कर सकती है। दोनों खंड अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं, यद्यपि उप-धारा (2) द.प्र.सं. की धारा 235 की उप-धारा (1) के तहत परिणाम से संबंधित है। अतः धारा 235 की उप-धारा (2) का पालन करने का अवसर केवल तभी उत्पन्न होता है जब द.प्र.सं. की धारा 235 (1) के तहत दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया जाता है।

16. अपीलार्थी का यह तर्क कि उसकी दोषसिद्धि के बाद पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण, नए पीठासीन अधिकारी दोषसिद्धि के प्रश्न पर भी उन्हें नए सिरे से सुनने हेतु बाध्य थे, पूरी तरह गलत है। 30.04.2015 दिनांकित निर्णय घोषित होने के बाद, अपीलार्थी की दोषसिद्धि भी द.प्र.सं. की धारा 235 (1) के अर्थ के भीतर निर्धारित हो चुकी थी, जिसके बाद विचारण न्यायालय द.प्र.सं. की धारा 235 की उप-धारा (1) के उद्देश्य के लिए कार्यात्मक प्राधिकरण बन गया था। इसके बाद जो एकमात्र विवादक बचा रहा वह दण्ड की मात्रा का था, जिसके लिए उप-धारा (2) के तहत विचरित प्रक्रिया का पालन किया जाना था। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने उचित निर्णय अभिनिर्धारित किया है कि उत्तराधिकारी अधिकारी दण्ड के प्रश्न पर अपीलार्थी को सुनेगा और एक उचित आदेश पारित करेगा। हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई विधिक कमजोरी नहीं पाते हैं।

17. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता आग्रह करते हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध प्रदत्त दोषसिद्धि का निर्णय, द.प्र.सं. की धारा 354 के साथ पठित धारा 353 के अवयवों की पूर्ति नहीं करता है और इसलिए, द.प्र.सं. की धारा 235 की उप-धारा (1) के अर्थ के भीतर विधि की दृष्टि में कोई 'निर्णय' नहीं दिया गया है।

18. यद्यपि, हम तर्कों से प्रभावित नहीं हैं। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि विचारण न्यायालय ने दोषसिद्धि का एक स्पष्ट निर्णय पारित किया था जो द.प्र.सं. की धारा 354 (1) में दर्शाए गए सभी घटकों की पूर्ति करता है। इसके अलावा, निर्णय के प्रवर्तनीय भाग के साथ-साथ अपीलार्थी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए उसी दिनांक को पारित आदेश से पता चलता है कि दोषसिद्धि का उक्त निर्णय पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति में खुले न्यायालय में घोषित किया गया था, और यह उसके अधिवक्ता द्वारा अच्छी तरह से समझा गया था। अतः पीठासीन अधिकारी ने दं.प्र.सं. की धारा 353 की उप-धारा (1) के तहत परिकल्पित प्रक्रिया का पालन किया था। पीठासीन अधिकारी द्वारा उठाया जाने वाला अगला कदम अपीलार्थी

को दण्ड की मात्रा पर सुनवाई करने हेतु प्रकरण को सूचीबद्ध करना था। वर्तमान प्रकरण में ठीक यही किया गया है। अतः हमारा विचार है कि द.प्र.सं. की धारा 353 या 354 का किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से दावा किया गया है।

19. इस प्रकार, इस अपील में कोई सार नहीं है, जिसे परिणामस्वरूप खारिज किया जाता है।

20. वर्तमान में संबंधित विचारण न्यायालय में पदस्थ पीठासीन अधिकारी, को निर्देश दिया जाता है कि वे दण्ड के प्रश्न पर अपीलार्थी की सुनवाई इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के दिनांक से एक महीने के भीतर शीघ्रताशीघ्र करें। परिणामवर्ती कार्यवाहियां उसके बाद होंगी।

21. अपीलार्थी को इससे पहले आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है - न्यायिक अभिरक्षा में लिए जाने के लिए 04.11.2024 पर सुबह 10.00 पर विचारण न्यायालय। उसे दण्ड की मात्रा और दण्ड पर आदेश की घोषणा की दिनांक पर सुनवाई की दिनांक को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश प्रस्तुत जाएगा। यदि वह अनुपस्थित रहता है या फरार हो जाता है, तो प्रकरण को अपना काम करना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता आवश्यक परिणामों को पूरा करने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहे।

22. तदनुसार आदेशित।

..... न्यायाधीश

(सूर्या कान्त)

..... न्यायाधीश

(उज्जवल भुवन)

नई दिल्ली;

अक्टूबर 01, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।